आवास बन्धु
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उ0प्र0शासन

प्रथम तल, जनपथ मार्केट, लखनऊ
दूरभाषः : 0522–2284880, 2627021,
फैक्सः 0522–2612098
E-mail: awasbandhu@gmail.com
website:http://www.awas.up.nic.in

संख्याः 1250/आ.ब.–1/निदेशक/2013 दिनांक : 27 जून, 2013

प्रेषक,

एस0सी0मिश्र,
निदेशक,
'आवास–बन्धु,' उ0प्र0।

'महत्वपूर्ण'

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

विषय : माननीय न्यायालयों में योजित अवमानना वादों के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1, उ0प्र0शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 1347/आ–1–2003 दिनांक 10 मई, 2013 तथा शासनादेश संख्या–1736/आठ–5–2013 दिनांक 25 जून, 2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त दोनों ही शासनादेशों में यह स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि अभिकरणों/शासन के विरूद्ध योजित वादों में मुख्य कार्यपालक अधिकारी स्वयं अपने स्तर से समयबद्ध रूप से अवमानना वादों का निस्तारण सुनिश्चित करें, परन्तु वास्तविकता यह है कि अभिकरणों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अवमानना वादों के सम्बन्ध में कोई विशेष रूचि अभी भी नहीं ली जा रही है, फलस्वरूप प्रायः शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को माननीय न्यायालयों के समक्ष उपस्थित होकर विषम/असमन्जस की स्थिति का सामना करना पड़ता है व शासन की छवि भी घूमिल होती है। तद्क्रम में प्रमुख सचिव (आवास) महोदय द्वारा गम्भीर रोष व्यक्त करते हुए निम्न निर्देश प्रदान किये गये हैः–

1. अभिकरणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रत्येक दिन सुविधानुसार पूर्वान्ह/अपरान्ह में अवमानाना वादों/योजित वादों की Cause List, मा0 सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय की Website से स्वयं देखकर प्रभावी पैरवी की जाये। उल्लेखनीय है कि Cause List में एक सप्ताह पहले ही वाद की स्थिति दर्शा दी जाती है, जिससे कि अभिकरण के पास प्रभावी पैरवी हेतु समुचित समय भी रहता है।

2. **विशेष रूप से उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, आगरा, मेरठ, बरेली व गोरखपुर विकास प्राधिकरणों में अभी भी अधिसंख्य वाद ऐसे योजित हैं, जिनमें शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के विरूद्ध अवमानना वाद दायर है अथवा नोटिस निर्गत है।**

क्रमशः 2

27/6/13

3. अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह निदेश देने की अपेक्षा की गयी है कि कृपया सभी अभिकरणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी दिनांक 02 जुलाई, 2013 तक सभी अवमानना वादों में Counter Affidavit File कराना सुनिश्चित करें तथा दिनांक 03 जुलाई, 2013 को ई–मेल/फैक्स द्वारा 'आवास–बन्धु' को तद्आशय का प्रमाण–पत्र भी भेजे।

4. उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, आगरा, मेरठ, बरेली व गोरखपुर विकास प्राधिकरणों के नोडल अधिकारी/भिज्ञ अधिकारी निर्धारित तिथि को 'आवास–बन्धु' कार्यालय में **पूर्वान्ह 11.00 बजे**, सहायक निदेशक (सिस्टम) के साथ बैठकर अवमानना वादों में Counter Affidavit File करने की स्थिति को **'Application-Software'** पर अपेडेट करायें तथा प्रमाण–पत्र दें कि किसी अवमानना वाद में Counter Affidavit File करना अवशेष नहीं है।

तदुपरान्त प्रमुख सचिव (आवास) महोदय से व्यक्तिगत रूप से मिलकर अवमानना वादों की सम्पूर्ण जानकारी उन्हें देकर ही लखनऊ से वापस मुख्यालय जायें। अभिकरणवार निर्धारित तिथि निम्नवत् है:–

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	03 जुलाई, 2013
लखनऊ वि0प्रा0	04 जुलाई, 2013
गाजियाबाद वि0प्रा0	05 जुलाई, 2013
आगरा वि0प्रा0	06 जुलाई, 2013
मेरठ वि0प्रा0	08 जुलाई, 2013
बरेली वि0प्रा0	09 जुलाई, 2013
गोरखपुर व0प्रा0	10 जुलाई, 2013

कृपया तद्नुसार **शीर्ष प्राथमिकता पर** आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0सी0मिश्र) 27.6.13
निदेशक

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव (आवास एवं शहरी नियोजन विभाग), उ0प्र0शासन को उनके द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में, तद्नुसार अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ प्रेषित।
2. सहायक निदेशक(सिस्टम)–श्री अनिल तिवारी को तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एस0सी0मिश्र)
निदेशक